



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-09102020-222323
CG-MH-E-09102020-222323

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426]
No. 426]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 8, 2020/आश्विन 16, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2020/ASVINA 16, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 8 अक्टूबर, 2020

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2020

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/34.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकेगा।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 में,-

I. विनियम 14 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, —

“प्रत्येक डिबेंचर न्यासी, अन्य बातों के साथ-साथ, उन न्यास विलेखों (ट्रस्ट डीड) को स्वीकार करेगा, जिनमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 और कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में दिए हुए प्ररूप संख्या (फॉर्म नं.) एसएच.12 में उल्लिखित बातें शामिल हों। ऐसे न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) के दो भाग होंगे:

क. भाग-क, जिसमें ऋण निर्गम (डैट इश्यू) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित जानकारी / मानक जानकारी होगी;

ख. भाग-ख, जिसमें किसी ऋण निर्गम (डैट इश्यू) विशेष के ब्यौरे होंगे।”

II. विनियम 15 में,

i. उप-विनियम (1) में, खंड (ज) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, —

“यह सुनिश्चित करे कि डिबेंचरों के लिए प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) के सृजन (यदि कोई हो), डिबेंचर मोचन आरक्षिति (डिबेंचर रिडेंप्शन रिज़र्व) और रिकवरी एक्सपेंस फंड के सृजन से संबंधित शर्तों का पालन किया जा रहा है;”

ii. उप-विनियम (1) में, खंड (न) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, —

“उस मामले में जहाँ सूचीबद्ध (लिस्टिड) ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) को प्राप्य राशियों (रिसीवेबल्स) / बही ऋणों (बुक डैट) के आधार पर प्रतिभूत (सिक्योर्ड) किया जाता हो, वहाँ यह, -

(i) तिमाही आधार पर -

(क) उसी प्रकार पूरी तत्परता (ड्यू डिलीजेंस) बरतेगा और असेट कवर पर नज़र रखेगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

(ii) छमाही आधार पर -

(क) निर्गमकर्ता (इश्युअर) के कानूनी लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा, जिसमें प्राप्य राशियों (रिसीवेबल्स) / बही ऋणों (बुक डैट) के मूल्य का उल्लेख होगा और इस बात का भी उल्लेख होगा कि प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डाक्यूमेंट) / सूचना ज्ञापन (इन्फॉर्मेशन मैमोरेण्डम) की शर्तों आदि का पालन किया जा रहा है, उसी प्रकार जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।”

iii. उप-विनियम (2) में, खंड (ख) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, —

“ऐसी कोई घटना होने पर, जिसकी वजह से कोई चूक (डिफॉल्ट) हो जाती हो, या शर्तों आदि [प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डाक्यूमेंट) / सूचना ज्ञापन (इन्फॉर्मेशन मैमोरेण्डम) और/या डिबेंचर न्यास विलेख (डिबेंचर ट्रस्ट डीड) में दी हुई] का उल्लंघन हो जाता हो या जो डिबेंचर न्यासियों की राय में डिबेंचर धारकों के हित को प्रभावित करती हो,

बुलाएगा या निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) द्वारा बुलवाएगा:”

iv. उप-विनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम (6) और उप-विनियम (7) अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्, -

“(6) डिबेंचरों के लिए प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) पर भार (चार्ज) सृजित करने से पहले, डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) स्वतंत्र रूप से पूरी तत्परता (ड्यू डिलीजेंस) बरतेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) पर कोई ऋण-भार (विल्लंगम / इन्कम्ब्रेन्स) न हो या यदि उस प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) पर पहले से ही कोई भार (चार्ज) हो, तो उसने अन्य भार धारकों (चार्ज-होल्डर्स) से जरूरी सहमति ले ली हो, उसी प्रकार जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

(7) डिबेंचर धारकों की मंजूरी और बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अध्यक्षीन, डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी), डिबेंचर धारकों की ओर से, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ढाँचे के अनुसार इंटर-क्रेडिटर एग्रीमेंट कर सकेगा।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./287/2020-21]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993, सं. सेबी/एल.ई./12/93, 29 दिसम्बर 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 तत्पश्चात्:
 - क. 28 नवम्बर 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फ़ीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, का.आ. 939 (अ), द्वारा
 - ख. 5 जनवरी 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. 16 (अ), द्वारा
 - ग. 30 सितम्बर 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. 795 (अ), द्वारा
 - घ. 17 फरवरी 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. 135 (अ), द्वारा
 - ङ. 8 अगस्त 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. 743(अ), द्वारा
 - च. 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. 278 (अ), द्वारा
 - छ. 29 मई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. 476 (अ), द्वारा
 - ज. 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का. आ. 1045(अ), द्वारा
 - झ. 4 जुलाई 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. 763 (अ), द्वारा
 - ञ. 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. 398(अ), द्वारा
 - ट. 7 सितम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. 1451 (अ), द्वारा
 - ठ. 26 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा
 - ड. 13 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कुछ मध्यवर्तियों [इंटरमीडियरीज़] के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/03/12650, द्वारा

- ढ. 5 जुलाई 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/13/21222, द्वारा
- ण. 14 दिसम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/30/37715, द्वारा
- त. 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- थ. 8 दिसम्बर, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा
- द. 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित], द्वारा
- ध. 13 जुलाई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/011, द्वारा
- न. 7 मई 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/14, द्वारा
- प. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम (संशोधन) (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स), 2020, सं/जीएन/एनआरओ-डी.ए.एल/सेबी .2020/10, द्वारा संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th October 2020

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DEBENTURE TRUSTEES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2020.

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/34.—In exercise of the powers conferred under Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, namely: —

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2020.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, —

I. regulation 14 shall be substituted by the following namely, —

“Every debenture trustee shall amongst other matters, accept the trust deeds which shall contain the matters as specified in section 71 of Companies Act, 2013 and Form No. SH.12 specified under the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014. Such trust deed shall consist of two parts:

- a. Part A containing statutory/standard information pertaining to the debt issue;
- b. Part B containing details specific to the particular debt issue.”

II. in regulation 15,

- i. in sub-regulation (1), clause (h) shall be substituted by the following, namely, —

“ensure the implementation of the conditions regarding creation of security for the debentures, if any, debenture redemption reserve and recovery expense fund;”

ii. in sub-regulation (1), clause (t) shall be substituted by the following, namely, —

“In case where listed debt securities are secured by way of receivables/ book debts, it shall, -

(i) on a Quarterly basis-

(a) carry out the necessary due diligence and monitor the asset cover in the manner as may be specified by the Board from time to time.

(ii) on a Half-Yearly basis-

(a) obtain a certificate from the statutory auditor of the issuer giving the value of receivables/book debts including compliance with the covenants of the Offer Document/Information Memorandum in the manner as may be specified by the Board from time to time.”

iii. in sub-regulation (2), in clause (b), after the word “default” and before the words “or which”, the words and symbols “or breach of covenants (as specified in the Offer Document/Information Memorandum and/or debenture trust deed)” shall be inserted.

iv. after sub-regulation (5), the following sub-regulations (6) and (7) shall be inserted, namely, -

“(6) Before creating a charge on the security for the debentures, the debenture trustee shall exercise independent due diligence to ensure that such security is free from any encumbrance or that it has obtained the necessary consent from other charge-holders if the security has an existing charge, in the manner as may be specified by the Board from time to time.

(7) Subject to the approval of the debenture holders and the conditions as may be specified by the Board from time to time, the debenture trustee, on behalf of the debenture holders, may enter into inter-creditor agreements provided under the framework specified by the Reserve Bank of India.”

AJAY TYAGI, Chairman

[Advt.-III/4/Exty./287/2020-21]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, the Principal Regulations, were published in the Gazette of India on December 29, 1993 vide SEBI/LE/12/93.

2. The Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustee) Regulations, 1993, were subsequently amended on:

- a. November 28, 1995 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide S.O. No.939 (E).
- b. January 5, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No.16(E).
- c. September 30, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No.795(E).
- d. February 17, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.135(E).
- e. August 8, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.743(E).
- f. March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.278(E).
- g. May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 476(E).
- h. September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No.1045(E).

- i. July 4, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O.No. 763(E).
- j. March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).
- k. September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O No.1451 (E).
- l. May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2008/11/126538.
- m. April 13, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/ NRO/ GN/ 2011 - 12/03/12650.
- n. July 5, 2011 by the Securities and Exchange Board Of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2011 No. LAD-NRO/GN/2011-12/13/21222.
- o. December 14, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Second Amendment) Regulations, 2011 No. LAD-NRO/GN/2011- 12/30/37715.
- p. May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
- q. December 8, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide Notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/023.
- r. March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016-17/037 read with March 29, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD - NRO/GN/2016-17/038.
- s. July 13, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017 -18/011.
- t. May 07, 2019 by Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2019 vide Notification No. SEBI/LAD -NRO/GN/2019/14.
- u. April 17, 2020 by SEBI (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.